उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.

दूरभाष : 0135.2608125, फैक्स : 2608126,
ईमेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांकः 1115 /P2-12/यू0आर0आर0डी0ए0/ 2015 दिनांक 25 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मोटर मार्गों के समरेखण में आने वाली तथा समरेखण से बाहर की निजी एवं शासकीय परिसम्पत्तियां जैसे भवन, भूमि का दबान, सिंचाई गूल, पेयजल लाईन, पैदल रास्ते तथा पेड़ों के प्रतिकर प्रस्ताव अत्यधिक मात्रा में एवं काफी विलम्ब से यू0आर0आर0डी0ए0 को प्राप्त हो रहे हैं। अतः वर्तमान में इन प्रतिकर प्रस्तावों के भुगतान हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्नानुसार आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन मार्गों के मात्र समरेखण में आने वाली निजी भूमि, निजी परिसम्पत्तियों एवं शासकीय परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का आंकलन डी0पी0आर0 में लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाएगा।

2. समस्त प्रतिकर भुगतान के प्रस्ताव क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। स्वीकृति के उपरान्त समस्त प्रतिकर प्रस्ताव की प्रति धनराशि के आंवटन के लिए यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की जाएगी।

3. प्रतिकर की स्वीकृति डी0पी0आर0 में प्रस्तावित की गई धनराशि के अन्तर्गत ही की जाएगी। डी0पी0आर0 से प्राप्त धनराशि से अधिक धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनका परीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से करेंगे तथा तदनुसार ही औचित्य सहित धन की मांग हेतु यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किये जाएंगे।

4. मार्गों के समरेंखण में आ रही निजी भूमि, निजी परिसम्पत्तियों के प्रतिकर भुगतान हेतु कार्यवार विस्तृत प्रस्ताव सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा जनपद हेतु निर्धारित दरों के अनुसार तय किया जाएगा। इसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराकर अधीक्षण अभियन्ता (पी0एम0जी0एस0वाई0) के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किये जाएंगे। मुख्य अभियन्ता द्वारा परीक्षण कर इनकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। गठित प्रतिकर प्रस्ताव में कम से कम 10 प्रतिशत Random Checking अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 द्वारा अनिवार्य रूप से कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ दिया जाएगा कि 'प्रस्तावित प्रतिकर' का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा अनुमोदित समस्त प्रस्तावों के आदेशों की एक प्रति यू0आर0आर0डी0ए0 कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी जिसके सापेक्ष प्रतिकर भुगतान हेतु यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा धनराशि की उपलब्धता के अनुसार धनराशि का आंवटन सम्बन्धित पी0आई0यू0 को उनकी मांग के अनुसार जारी किया जायेगा।

5. मार्गो के समरेखण में आ रही शासकीय परिसम्पत्तियॉ यथा पेयजल लाईन, विद्युत लाईन, सिंचाई नहर, पैदल रास्ते आदि की शिफ्टिंग, पुनः निर्माण अथवा मरम्मत के प्रस्ताव पी0आई0यू0 द्वारा सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लो0नि0वि0 की दरों पर तैयार करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किये जाएंगे। मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति के उपरान्त भुगतान हेतु धनावंटन के लिए प्रस्ताव की एक प्रति यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की जायेगी।

6. समस्त परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का भुगतान केवल सड़क के समरेखण में आने वाली सम्पत्तियों का ही किया जाएगा। निर्माण अवधि (during Construction) में अन्य प्रकार की क्षतियों की प्रतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्ध के जी0सी0सी0 की धारा 12 "All risks of loss of or damage to physical property and of personal injury and death which arise during and in consequence of the performance of the contract other than the excepted risks referred to in clause 11.1, are the responsibility of the contractor" के अनुसार ठेकेदार का रहेगा। विशेष परिस्थितियों में एवं आपदा आदि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का परीक्षण क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा प्रस्ताव औचित्यपूर्ण होने के पश्चात ही क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी तथा अन्य किसी स्रोत से धनराशि प्राप्त न होने पर धन की मांग हेतु यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित किया जाएगा।

7. क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों से प्राप्त होने वाले सामग्री यथा पाईप, जी0सी0आई0 शीट, लकड़ी, पत्थर तथा अन्य सामग्री के मूल्यों का समायोजन प्रतिकर प्रस्ताव में करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रस्ताव पर धन की मांग यू0आर0आर0डी0ए0 से की जाएगी। भुगतान के पश्चात परिसम्पत्तियों को विभाग द्वारा ध्वस्त किया जाएगा।

8. मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान निजी/राजकीय सम्पत्तियों के क्षति के प्रतिकर प्रस्ताव कार्य पूर्ण होने के काफी समय पश्चात एवं समरेखण से बाहर के प्रस्ताव भी प्रेषित किये जाते हैं जो कि उचित नहीं है एवं इससे मार्ग निर्माण से हुई क्षति का वास्तविक आंकलन नहीं हो पाता है। अतः निर्मित होने वाले मोटर मार्गों के कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व निजी/शासकीय परिसम्पत्तियेां यथा पेयजल लाईन, विद्युत लाईन, सिंचाई नहर, पैदल रास्ते आदि के शिफ्टिंग, पुर्ननिर्माण अथवा मरम्मत तथा पेड़ों के प्रतिकर प्रस्ताव जो मोटर मार्ग के समरेखण में आते हों, का सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा रजिस्टर में अंकित करते हुए इनके स्थायी अभिलेख खण्डीय कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा समरेखण के आने वाले पेड़ों की गोलाई की माप भी रजिस्टर में अंकित की जायेंगी। समस्त प्रतिकर प्रस्ताव तदनुसार ही पूर्व अभिलिखित आंकड़ों की पुष्टि करते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की स्वीकृति के उपरान्त समस्त आदेशों की प्रति सहित धनराशि की मांग हेतु यू0आर0आर0डी0ए0 को प्रेषित की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विनोद फोनिया)
सचिव
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0आर0आर0डी0ए0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, गढ़वाल क्षेत्र देहरादून/कुमॉऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, उत्तराखण्ड।

(विनोद फोनिया)
सचिव
ग्राम्य विकास विभाग